

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वाद संख्या :- 01/68/2015



दिनांक 06.04.2018

शिवराम बनाम पून्याराम वगैरा
दावा स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 08 की ओर से वकीलतनामा श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट का पेश हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की तामील कराये जाने हेतु दिनांक 27.03.2012 से नोटिस पेश करने बाबत बार-बार मौका दिया जाने के उपरांत पालना नहीं किये जाने के कारण प्रकरण नॉन कम्प्लायन्स में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(प्रताप सिंह, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)